

रीज

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। प्रार्थी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन चार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई। बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में प्रार्थी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर अदम टाजिरी अदम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली कैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी  
रावतभादा (चिचौड़गढ)